

कार्यालय झाप

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विमानाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

पत्रांक :- 486/10 हाईजाई/13

दिनांक :- 17/5/13

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 167/10 अडिओ प्रालि/11 दिनांक 10/02/2011 द्वारा निर्देशित किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा पोषित समस्त मार्ग एवं सड़क कार्यों हेतु Roads and Bridges for Uttarakhand के SOR का प्रयोग किया जाएगा एवं समस्त केन्द्र पोषित एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित योजनाओं हेतु MORTH के SOR का प्रयोग किया जाएगा।

चूँकि Roads and Bridges के SOR में सड़कों के निर्माण से संबंधित सभी मदें उपलब्ध नहीं थी, अतः MORTH के SOR से Bridge Works के तीन Chapters (Foundation, Substructure and Superstructure), Roads and Bridges के SOR में Chapter No. 17, 18, एवं 19 के रूप में copy कर लिए गये थे। Roads & Bridges में copy किए गए bridge works के इन Chapters में Overheads भी मार्ग कार्यों की ही भाँति 2.5% लिए गए थे, जबकि मूल SOR MORTH में ये Overheads 20% लिए गए हैं।

Field में कार्यरत अभियन्ताओं द्वारा खंडान में लाया गया है कि Bridges के निर्माण हेतु केवल 2.5% Overhead's प्रयोज्य नहीं हैं तथा इस कारण Bridges के निर्माण कार्य करवाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः SOR समीति के साथ विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र एवं राज्य पोषित समस्त Minor एवं Major Bridge Projects हेतु MORTH की विधिस्थितियों तथा SOR का ही प्रयोग किया जाएगा।

प्रमुख अभियन्ता

लोक निर्माण विभाग देहरादून

[Handwritten signature]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संवनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्ता सेवा, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र/पीएमओपीएमवाड्डे/एओडीओ लॉनोडिओ/पौडी/अन्नाडा/देहरादून।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, स्थिति एवं वि०या० लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपन स्तर से अधीक्षाधी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. अधीक्षाधी अभियन्ता टी०ए०पी० वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर I, II/अधीक्षाधी अभियन्ता III III IV V VI कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-I, लॉनोडिओ देहरादून।
9. कनिष्ठ अभियन्ता (प्र०), कार्यालय विमानाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता

लोक निर्माण विभाग देहरादून